स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के दावे

2965. **श्री सुखदेव नारायण सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के आवेदन लम्बित पड़े हैं, यदि हां, तो राज्यवार कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं और उनमें से कितनों पर भुगतान आदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयु, नजरबंदी इत्यादि के झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर पेंशन ले ली गई है तथा पेंशन लेने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें पेंशन बन्द कर दी गई है तथा उन दोषी व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) गृह मंत्रालय में अग्रिम प्रतिलिपि के रूप में प्राप्त कोई आवेदन पत्र प्रारम्भिक जांच के लिए विचाराधीन नहीं पड़ा है। संबंधित राज्य सरकारों से, जो प्राप्त आवेदनों के आधार पर दावों की संवीक्षा करती है, सत्यापन और पेंशन के लिए हकदारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पेंशन स्वीकृत की जाती है। लम्बित और स्वीकृत मामलों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कुछ बेअसूल व्यक्तियों ने झूठे प्रमाण पत्र और जाली कागजातों को प्रस्तुत करके सम्मान पेंशन प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। शिकायत प्राप्त होने पर ये मामले जांच और रिपोर्ट के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान पेंशन के दावों की छानबीन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

(ग) जिन मामलों में पेंशन को निलम्बित/रद्द किया गया है उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। यदि राज्य सरकार स्वतन्त्रता सेनानी की अपात्रता की पुष्टि करती तो सम्मान पेंशन को निलंबित कर दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की संभावनाओं का पता लगाया जाता है। तथापि इस प्रक्रिया में सबंधित व्यक्ति को स्वयं की सदाशय को सिद्ध करने का अवसर भी दिया जाता है।

सम्मान पेंशन के दावों के विषय में आवेदन पत्रों की स्थिति

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पेंशन स्वीकृत की गई	निलंम्बित	रद्द की गई	जिनमें राज्यों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
उत्तर प्रदेश .	15,704	312	139	5,783
पंजाब .	5,264	67	18	1,482

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पेंशन स्वीकृत की गई	निलम्बित	रद्द की गई	जिन राज्यों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
हरियाणा .	1,334	22	19	419
जम्मू और कश्मीर	808	—	—	724
राजस्थान .	611	16	7	189
हिमाचल प्रदेश .	374	13	2	189
पश्चिम बंगाल .	14,927	517	127	34,621
असम .	3,944	1,414	19	12,805
उड़ीसा .	3,586	18	33	6,016
त्रिपुरा .	702	200	34	801
मेघालय .	67	15	13	14
मिजोरम .	—	1	—	—
मणिपुर .	16	7	—	88
अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	38
नागालैंड .	10	—	1	6
बिहार .	19,665	348	71	32,650
मध्य प्रदेश .	2,704	31	51	706
केरल .	2,004	—	7	17,807
आन्ध्र प्रदेश .	5,407	—	—	10,383
तमिलनाडु .	3,631	—	—	1,709
गुजरात .	2,855	—	—	72
कर्नाटक .	7,655	—	2	5,754
महाराष्ट्र .	10,247	—	1	10,194
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन				
अंडमान निकोबार द्वीप .	20	—	—	20
चंडीगढ़ .	22	—	—	6
दिल्ली .	1,620	—	—	57
गोवा .	597	—	—	877
पांडिचेरी .	242	—	—	368
आ० हि० फो०-I	13,786	228	57	4,078
आ० हि० फो०-II	3,081	14	4	2,694
कुल	1,20,913	3,323	669	1,41,126